

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत लाभार्थी द्वारा सहायता राशि हेतु आवेदन-पत्र

1. लाभार्थी का नाम
2. पति/पिता का नाम
3. जाति
4. पता
- ग्राम ग्राम पंचायत पंचायत समिति
5. पट्टाधारक का विवरण :-
1- नाम
- 2- पिता का नाम
- 3- लाभार्थी का नाम.....
6. यदि निर्माण स्थल की जमीन का पट्टा लाभार्थी के नाम नहीं तो प्रस्तावित निर्माण स्थल का ब्यौरा :-
7. क्या प्रस्तावित जमीन पर
(1) प्रार्थी का कब्जा है हां/नहीं
(2) पूर्व निर्माण है हां/नहीं
8. प्रार्थी द्वारा चाही गई राशि

हस्ताक्षर प्रमाणित
सरपंच/गुप सचिव मय मोहर
व दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम
ग्राम पंचायत
पंचायत समिति

पंचायत में प्रस्तुतीकरण का दिनांक

प्रमाणीकरण

आवेदन पत्र की जांच की गई तथ्यात्मक विवरण निम्नानुसार है :-

- 1- प्रार्थी का नाम गरीबी रेखा के नीचे चयन सूची वर्ष में क्रम संख्या अंकित है।
- 2- प्रार्थी इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत निर्धारित प्राथमिकता की श्रेणी में आता है।
- 3- प्रस्तावित जमीन पर कब्जा है।
- 4- (1) प्रार्थी को वर्ष में योजनान्तर्गत राशि से
(योजना का नाम)
लाभान्वित किया जा चुका है।
(2) प्रार्थी को पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है।
- 5- प्रार्थी के पास पूर्व में कोई पक्का मकान नहीं है।
- 6- प्रार्थी श्रीमती/श्रीपत्नि/पिता
निवासी ग्रामको इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत इकाई लागत रूपये
..... की वित्तीय सहायता की स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :

ग्रुप सचिव

स्वीकृति आदेश

ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक के प्रस्ताव संख्या में प्रार्थी श्रीमती/श्री
 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की गुप सचिव द्वारा की गई
 अनुशंषा के आधार पर वर्ष 1997-98 में प्रार्थी को इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत निम्नानुसार वित्तीय
 सहायता की स्वीकृति दी जाती है।

-
- 1- लाभार्थी का नाम एवं पति/
पिता का नाम
 - 2- जाति
 - 3- चयनित सूची में
क्रमांक व वर्ष
 - 4- चयनित सूची में क्रमांक व वर्ष
 - 5- योजनान्तर्गत प्राथमिकता
 - 6- पट्टा संख्या/स्थान जहां
निर्माण प्रस्तावित है।
 - 7- स्वीकृत राशि
-

शर्तें :-

- 1- प्रार्थी द्वारा स्वयं की भूमि पर ही आवास निर्माण कराया जायेगा।
- 2- आवास निर्माण का कार्य 6 माह की अवधि में निश्चित रूप से पूर्ण किया जायेगा।
- 3- उपरोक्त स्वीकृति राशि से अगर मकान पूर्ण नहीं होता है तो प्रार्थी स्वयं के संसाधनों से आवास पूर्ण करायेगा।
- 4- लाभार्थी द्वारा राशि का दुरुपयोग किसी अन्य कार्य हेतु नहीं किया जायेगा। दुरुपयोग होने की स्थिति में प्रार्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 5- स्वीकृति आवास के निर्माण कार्य की समीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु समिति निम्नानुसार होगी।

1- सरपंच

2- वार्ड पंच श्री

3- गुप सचिव

- 6- समीक्षा एवं मूल्यांकन समिति की अनुशंषा पर सहायता राशि निम्नानुसार 3 किशतों में दी जायेगी।
- | | | | |
|----|----------------------|---|---|
| 1- | प्रथम किशत | - | 35 प्रतिशत नींव की खुदाई का कार्य पूर्ण होने पर |
| 2- | द्वितीय किशत | - | 50 प्रतिशत - लिन्टल (छज्जा) तक कार्य पूर्ण होने पर |
| 3- | तृतीय एवं अंतिम किशत | - | 15 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण होने तथा समीक्षा एवं मूल्यांकन समिति के सत्यापन के आधार पर |
- 7- आवास से निर्धम चूल्हा तथा शौचालय का निर्माण कराया जायेगा।

आज्ञा से,

ग्रुप सचिव ()
ग्राम पंचायत
पंचायत समिति
जिला

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- | | |
|----|--|
| 1- | अतिरिक्त कलेक्टर (विकास) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण |
| 2- | लाभार्थी श्री |
| 3- | गार्ड फाईल |

ग्रुप सचिव